संख्या– 391 / एक–11–2021–पि0न0–22 / 2006

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक :22 जून, 2021**

विषयः राज्य स्तरीय आपदा प्रबंध केन्द्र के संचालनार्थ राहत आयुक्त कार्यालय के लिए सृजित पदों को बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 2454 / रा0आ0का0 / ए0ओ0 तैनाती पत्रा0 / 2021–22 दिनांक 08–06–2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तरीय आपदा प्रबंध केन्द्र के संचालनार्थ राहत आयुक्त संगठन के अधीन नीचे इंगित तालिका में उल्लिखित पदों की निरन्तरता शासनादेश सं0 805 / एक–11–2018–पि0न0–22 / 2006 दिनांक 23–10–2020 द्वारा दिनांक 28–02–2021 तक के लिए निर्गत की गयी थी। निम्नलिखित पदों की निरन्तरता दिनांक 01–03–2021 से दिनांक 28–02–2022 तक के लिए प्रदान किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान की जाती है, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना सूचना के समाप्त न कर दिए जाएः–

क्रम.स.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	परियोजना प्रबन्धक	06	रू0 10,000–325–15,200
2.	आशुलिपिक ग्रेड–2	01	रू0 4,000–100–6,000 (स्नातक तथा कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान)
3.	ड्राइवर	02	रू0 3050–75–3950–80–4590
4.	अनुसेवक	03	रू0 2550–55–2600–60–3200

2– उक्त सृजित पद पूर्णतया अस्थायी होगे तथा इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

3– उक्त पदों के धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

4– उक्त पदों पर नियुक्ति सेवा–स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति अथवा स्वायत्तशासी निकायों / निगमों / उपक्रमों के कार्मिकों से संविदा / बाडी शापिंग के आधार पर की जा सकेंगी।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग(दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं–आयोजनेत्तर–090–सचिवालय–03–दैवी आपदा सम्बन्धी अधिष्ठान के अधीन सुसंगत मानक इकाइयों के नामें डाला जाएगा।

भवदीया,
22/6/21
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

GO-R-11-D/2021-104

संख्या–391(1)/एक–11–2021–पि0न0–4/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी राहत आयुक्त कार्यालय।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2।
7. राजस्व अनुभाग–10।
8. गार्ड फाईल।

21.6.21

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।